न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.12.2023	प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 65 / 2023 राधामोहन सोनी बनाम उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई व अन्य पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उप जिला कलक्टर बांदीकुई की तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थी को बार–बार आवाज लगवाई गई। किन्तु अधिवक्ता प्रार्थी अथवा प्रार्थी में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को नहीं चलाना चाहते है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उप जिला कलक्टर बांदीकुई से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जेर दफा–23 माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 पोषणीय नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.10.2023 को इस न्यायालय द्वारा प्रेषित तहरीर की प्रति प्राप्त होने से पूर्व ही खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी राधामोहन सोनी पुत्र श्रीनारायण जाति सुनार निवासी सैनी आदर्श विद्या मन्दिर मुख्य भवन के पास वार्ड नम्बर 29 बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में विचाराधीन पत्रावली संख्या 17 / 2023 उनवानी राधामोहन सोनी बनाम वेदप्रकाश जेर दफा–23 माता पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 11.12.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजकुमार कस्वा) अति. जिला कलक्टर,दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official